फर्द अहकाम

(नियम [illegible])

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मोतिया पत्नी छोटीया गुर्जर निवासी सालमपुरा वगैरह

बनाम

भैरू पुत्र उदा गुर्जर गुर्जर निवासी सालमपुरा वगैरह

मुकदमा नंबर 25/2024

किस्म मुकदमा धा. एक 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13/05/2024	प्रार्थना पत्र लिने से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम सालमपुरा प.ह. जस्सूजीकाखेड़ा आराजी सं. 100, 101, 102, 103 ,104 ,91, 92, 94, 95, 96, 98, 99 कुल किता 12 रकबा 2.2094 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम सालमपुरा प.ह. जस्सूजीकाखेड़ा आराजी सं. 100, 101, 102, 103 ,104 ,91, 92, 94, 95, 96, 98, 99 कुल किता 12 रकबा 2.2094 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक घानतिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रू राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार काछोला को लिखा जावें। **तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा	

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रीडर/2024/295/2024 दिनांक– 13/05/2024

तहसीलदार काछोला

विषयः– प्र.स. 295/2024 अनवान मोतिया पत्नी छोटीया गुर्जर निवासी सालमपुरा, बनाम भैरू पुत्र उदा गुर्जर गुर्जर निवासी सालमपुरा, भुरा पिता उदा गुर्जर निवासी सालमपुरा, भैरू पिता रतना गुर्जर निवासी सालमपुरा, नारायण पिता देवा गुर्जर निवासी सालमपुरा, नारायण पिता भैरू गुर्जर निवासी सालमपुरा, नाथू पिता श्रीकिशन बेरवा निवासी सालमपुरा,तहसीलदार काछोला वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम सालमपुरा प.ह. जस्सूजीकाखेडा आराजी सं. 100,101,102,103,104,91,92,94,95,96,98,99 कुल किता 12 रकबा 2.2094 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक धामनिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner